

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] No. 204] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2011/चैत्र 23, 1933

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2011/CHAITRA 23, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 317(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 71(अ), तारीख 7 फरवरी, 2011 के पृष्ठ 317 पर, बारहवीं अनुसूची में,—

- (i) पृष्ठ 317 पर, बारहवीं अनुसूची में, क्रम संख्या 4 के अधीन, "िकसी व्यक्ति का आयातकर्ता के रूप में रिजस्ट्रीकरण करना या रिजस्ट्रीकरण नवीकृत करना : 500 रुपए" के स्थान पर, "िकसी व्यक्ति का आयातकर्ता के रूप में रिजस्ट्रीकरण करना या रिजस्ट्रीकरण नवीकृत करना : 100 रुपए" पढ़ें।
- (ii) पृष्ठ 317 पर बारहवीं अनुसूची में, क्रम संख्या 5 के अधीन, ''निदेशक को अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए आवेदन फीस: 100 रुपए'' के स्थान पर, ''निदेशक/नियंत्रक को अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए आवेदन फीस: 200 रुपए'' पढें।
- (iii) पृष्ठ 317 पर बारहवीं अनुसूची में, क्रम संख्या 6 के अधीन, ''केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए आवेदन फीस : 200 रुपए'' के स्थान पर, ''केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए आवेदन फीस : 500 रुपए'' पढ़ें।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-9(6)/2010-भाग]

राकेश कक्कड, विशेष सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th April, 2011

GS.R. 317(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, (Department of Consumer Affairs) No. G.S.R. 71(E), dated 7th February, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), at page 655, in Twelfth Schedule,—

- (i) at page 655, in Twelfth Schedule under serial number 4 Fee for Registration/Renewal of registration of any person as an importer for "Rs. 500.00", read "Rs. 100.00".
- (ii) at page 655, in Twelfth Schedule under serial number 5 Application fee for preferring any appeal under the Act to the Director/Controller for "Rs. 100.00", read "Rs. 200.00".
- (iii) at page 655, in Twelfth Schedule under serial number 6 Application fee for preferring any appeal under the Act to the Central/State Government for "Rs. 200.00", read "Rs. 500.00".

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.